संख्या–2530 / 26–2–2010–3 मु0स0 / 2010

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
समाज कल्याण आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 10 अगस्त, 2010

विषयः **उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–2276 / 26–2–2010–3मु0स0 / 2010, दिनांक 27 जुलाई, 2010 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें कट–आफ सूचित करते हुए सूची को ग्राम सभा में प्रकाशित करने एवं तदोपरान्त ग्राम सभा की खुली बैठकों में लाभार्थियों के चयन की अपेक्षा की गयी है। ग्राम सभा की खुली बैठकें सर्वेक्षण में सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गयी असावधानियों की पकड़ एवं सर्वेक्षण के सत्यापन का उपयुक्त अवसर प्रदान करती हैं। लाभार्थियों के सही चयन हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि बैठकों में निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जायः–

1. योजना के अन्तर्गत दी गयी परिवार की परिभाषा को अहमियत प्रदान की जाय एवं उसे नजरन्दाज न किया जाय। शासनादेश संख्या 185 / 26–2–2010–3मु0स0 / 2010 दिनांक 15 जनवरी 2010 में यह बताया गया है कि परिवार में "स्वयं / स्त्री / पुत्र / अविवाहित पुत्री / माता / भाई या अन्य कोई सदस्य जो साथ में रहता हो तथा एक ही चूल्हे का बना खाना खाता हो, होंगे"। यदि ऐसा परिवार जिसके सदस्य मुख्य रूप से एक ही साथ रहते हैं तथा एक ही चूल्हे का बना हुआ खाना खाते हैं किन्तु तकनीकी दृष्टि से अलग–अलग सर्वे कराकर सूची में आये हैं तो इस संबंध में ग्राम सभा की खुली बैठक में पूर्ण सावधानी के साथ परीक्षण कर निर्णय लिया जाय।
2. योजना के अन्तर्गत स्वतः सम्मिलित परिवारों की सूची का परीक्षण अत्यन्त गंभीरता से किया जाय तथा यह देखा जाय कि क्या जिन परिवारों को सर्वेक्षण के दौरान इसमें सम्मिलित किया गया है वह योजना के संबंध में जारी निर्देशों के अन्तर्गत पूर्णरूप से स्वतः सम्मिलित परिवारों की सूची में सम्मिलित होने के मानकों को पूरा करते हैं अथवा नहीं। शासनादेश संख्या–2400 / 26–2–2010–3मु0स0 / 2010, दिनांक 03 अगस्त, 2010 में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अधिसूचित आदिम जनजाति समूह पूरे प्रदेश में मात्र जनपद बिजनौर में ही बुक्सा जनजाति से संबंधित है तथा उनकी जनसंख्या भी अत्यन्त सीमित है। अतः इस मानक के आधार पर किसी अन्य जनपद में कोई परिवार इस आधार पर सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। एकल महिला मुखिया का परिवार तथा विकलांगता वाले मुखिया का परिवार, निराश्रित परिवार एवं गृह विहीन परिवार की सूची का भी परीक्षण ग्राम सभी की खुली बैठकों में किया जाना आवश्यक है ताकि ग्राम सभा के अन्य सदस्य भी इस संबंध में सही

स्थिति की जानकारी दे सकें। जो व्यक्ति इन मानकों को पूरा करते हों उन्हें ही इस सूची में रखा जाय अन्यथा हटा दिया जाय।

3. जिन परिवारों को जाति के आधार पर अतिरिक्त अंक 3, 2 अथवा 1 दिये गये हैं उनकी जाति को भी ग्राम सभा के समक्ष सत्यापित करा लिया जाय। यद्यपि लाभार्थियों का चयन हो जाने के पश्चात लाभार्थी को फार्म भरना होगा एवं उसके साथ जाति का प्रमाण पत्र भी लगाना होगा।

4. सर्वेक्षण में परिवार में किसी व्यक्ति के क्षय रोग, कुष्ट रोग, विकलांग एवं मानसिक रोग, एच0आई0वी0 एड्स होने पर 2 अतिरिक्त अंक दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इस हेतु संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र मान्य माना गया है। अतः यदि सूची में ऐसे किसी व्यक्ति का चयन हो रहा हो तथा इस संबंध में 2 अतिरिक्त अंक मिले हों तो यह प्रमाण पत्र भी ग्राम सभा के समक्ष अवश्य देखा जाय एवं सत्यापन करा लिया जाय।

उपयुक्त होगा कि जिन परगनाधिकारियों तथा अन्य जनपदीय अधिकारियों की ड्यूटी ग्राम सभा की खुली बैठकों हेतु लगायी जाय उन्हें उपरोक्त निर्देशों से भली–भांति अवगत करा दिया जाय एवं इस हेतु इन सभी अधिकारियों की एक बैठक तत्काल कर बैठक में उपरोक्त एवं अन्य आवश्यक निर्देश समझा दिये जॉय।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
समाज कल्याण आयुक्त

संख्या–2530(1)/26–2–2010, तददिनांक।

1– उपरोक्त की प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से मण्डल के अधीन आने वाले समस्त जनपदों को उपरोक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

2– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

3– निदेशक,एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त की प्रति एन0आई0सी0 के ई–मेल के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को अपने स्तर से भिजवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(प्रेम नारायण)
समाज कल्याण आयुक्त